न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 10/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/27

रामचन्द्र सिहाग एडवोकेट पुत्र मनफूलराम जाति बिश्नोई साकिन 3 केपीडी, तहसील रावला जिला अनूपगढ़

बनाम

उपखण्ड अधिकारी एवं सचिव, मण्डी विकास समिति, घड़साना जिला अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 27.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रस्तुत निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने दिनांक 29.11.2023 को एक प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत रेस्पो. के समक्ष पेश कर रावला मण्डी में आवासीय प्लाट सं. 7 जे 18 के आवंटन पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि मय आदेश, लीज डीड की प्रमाणि प्रति, अन्तिम नामान्तरण की प्रमाणित प्रतिलिपि, आवेदक सरिता पत्नी रामचन्द का आवेदन पत्र मय पटवारी, तहसीलदार रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए निवेदन किया। रेस्पों. द्वारा उक्त भूखण्ड के क्रेता नवीना पत्नी जावेद जाति मुसलमान साकिन 8 पीएसडी बी तहसील रावला से यह सहमति लेने कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड के संबंध में सूचना चाही गई है, जो उन्हें दी जावे या नहीं के बाबत सहमति देवें। उक्त पत्र की प्रति अपीलांट को प्रेषित कर सूचित किया गया तदुपरान्त रेस्पों. द्वारा अपने पत्राक मंडी/आरटीआई/2023–24/28 दिनांक 24.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना इस आधार पर देने से इन्कार कर दिया कि भूखण्ड के क्रेता नवीना द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना देने में असहमति व्यक्त की हैं। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना के अन्तर्गत आती है लेकिन रेस्पों. द्वारा कानून से बाहर जाकर नवीना से असहमति लेकर अपीलार्थी का आवेदन निरस्त किया गया है जबकि अपीलार्थी सूचना प्राप्त करने का अधिकारी हैं। अपील स्वीकार कर चाही गई नकल प्रमाणित प्रतिलिपियां दिलवाने एवं रेस्पों. के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही कर अपीलार्थी को हुई क्षति का हर्जाना दिलवाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी घड़साना से टिप्पणी प्राप्त की गयी। उपखण्ड अधिकारी घड़साना के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक/मंडी/आरटीआई/2023–24/206 दिनांक 15.03.2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत भूखण्ड क्रेता नवीना पत्नी जावेद जाति मुसलमान निवासी 8 पीएसडी बी को लिखा गया। भूखण्ड क्रेता के द्वारा दिनांक 15.01.2024 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपने स्वामित्व के भूखण्ड के दस्तावेज किसी भी थर्ड पार्टी को प्रदान करने की कड़ी आपत्ति तथा असहमति लिखित में प्रस्तुत की। भूखण्ड क्रेता की आपत्ति या असहमति के कारण अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। जिस बाबत अपीलार्थी को लिखित सूचित कर दिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी से रावला मण्डी में आवासीय प्लाट सं. 7 जे 18 से संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां उपलब्ध करवाने बाबत् सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना तृतीय पक्ष से संबंधित होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 11 के तहत भूखण्ड के स्वामी नवीना पत्नी जावेद को आवेदन पत्र के संबंध में अवगत

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)
Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:32:41 IST
Reason: SelfAttested

करवाते हुए अपने कार्यालय के पत्रांक 1168 दिनांक 22.12.2023 के द्वारा उनकी सहमति/असहमति प्रकट करने हेतु लिखा गया। दिनांक 15.01.2024 को नवीना पत्नी जावेद ने प्रत्यर्थी के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए भूखण्ड से संबंधित सूचना अपीलार्थी को प्रदान करने में कड़ी आपत्ति तथा असहमति व्यक्त की। जिस पर प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना प्रदान करने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपीलार्थी को सूचित किया हैं कि भूखण्ड स्वामी के द्वारा सूचना अपीलार्थी को प्रदान करने में असहमति व्यक्त की हैं।

प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(7) व धारा 11 के तहत पर व्यक्ति से संबंधित सूचना चाहे जाने के कारण विधि का पालन करते हुए परव्यक्ति को आवेदन की सूचना प्रदान कर सूचना प्रकटन के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिया गया हैं, तथा पर व्यक्ति द्वारा असहमति जताने पर सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई हैं। अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत व्यक्तिगत सूचना के प्रकट करने को छूट प्रदान की गयी हैं। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में यह अंकित नहीं किया हैं कि वांछित सूचना किस प्रकार लोक क्रियाकलाप या हित से संबंधित रखती हैं। अतः प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी द्वारा पारित विनिश्चय से हम सहमत हैं। अपील खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 27.03.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर
अनूपगढ़
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:52:41 IST
Reason: SelfAttested